न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 20/2015(जी.सी.एम.एस. 2015/00172)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अंग्रेज सिंह पुत्र बलविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		1. जगतार सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर(मृतक)
2. हरविन्द सिंह पुत्र लखविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		1/1. बलजिन्द्र कौर पत्नी जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
3. गुरमीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		1/2. अमरजोत सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
4. रिछपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		2. प्रीतम कौर पुत्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		3. हरबन्स कौर पुत्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		4. जसवन्त सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		5. गुरदेव कौर पुत्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		6. बलविन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		7. बलदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		8. लखविन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
		9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:– 01.06.2015

उपस्थित:1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मनजीत सिंह कचूरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2

––निर्णय––

दिनांक: 21.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 4 वी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 95/99 के मुरब्बा नम्बर 32,44,47, 60/5 की 8.426 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि वादीगण के दादा हाकम सिंह पुत्र बन्ता सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। वादीगण के दादा हाकम सिंह ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 12.09.2008 में अपनी चक 4 वीं के खाता संख्या 77/75 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 24, मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5 की 0.158 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 6 की 0.173 हैक्टेयर, कुल 1.343 हैक्टेयर भूमि अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जगतार सिंह पुत्र हाकम सिंह को दे दी थी व मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1 ता 7 सालम व किला नम्बर 10, 11 सालम व किला नम्बर 14 ता 17 सालम, किला नम्बर 20, 25 सालम नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 15, 16, 17 सालम व किला नम्बर 22 ता 25 सालम नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25 की 1.404 हैक्टेयर नहरी भूमि, 0.114 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी भूमि अपने पोतो अंग्रेज सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा व हरविन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा, गुरमीत सिंह व रिछपाल सिंह पिसरान बलदेव सिंह 1/3 हिस्सा दे दी थी। दिनांक 18.09.2010 को वादीगण के दादा हाकम सिंह की मृत्यू हो चुकी है व मृत्यू के पश्चात से ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से अपनी-अपनी भूमि पर आज तक शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। वादीगण के दादा हाकम सिंह की मृत्यू के पश्चात उक्त तमाम भूमि का इन्तकाल वसीयत दिनांक 12.09.2008 के तहत दर्ज होना था। परन्तु

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। तब वादीगण ने पटवारी हल्का को कहा कि उक्त भूमि का इन्तकाल वसीयत अनुसार होना चाहिए था व इसी प्रकार किया जावे तो पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि माननीय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर से आदेश लेकर आओ। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे कि मजम्म ग्राम 4 वी, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 95/99 के मुरब्बा नम्बर 32,44,47, 60/5 की 8.426 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि को वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पर्लाविन्द्र सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार उक्त वसीयत दिनांक 12.09.2008 को वादीगण ने मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा हडपने करने की नियत से फर्जी एंव कूटरचित तरीके से तैयार की थी। उक्त वसीयत तहसीलदार श्रीकरणपुर से पंजीकृत करवाई थी। लेकिन वसीयत तस्दीक के दिन वसीयतकर्ता हाकम सिंह की उम्र 90 से 95 वर्ष के बीच थी तथा उसे बोलना, सुनना, व दिखाई देना बंद हो गया था। हाकम सिंह की इसी स्थिति का लाभ उठाकर वादीगण ने उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार करवाई। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यू से पूर्व ही हाकम सिंह ने अपनी भूमि को पारिवारिक बंटवारे में अपने चार पुत्रों जगतार सिंह, बलविन्द्र सिंह, बलदेव सिंह, लखविन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर विभाजित करके दे दी थी तथा अपने पुत्र जसवन्त सिंह तथा तीन पुत्रियों प्रीतम कौर, हरबंश कौर, गरदेव कौर को उनके हिस्सा के रुपये दे दिये थे तथा इसी अनुसार हाकम सिंह के चारों पुत्रों को कब्जा काश्त है। जिसके चलते जसवन्त सिंह, प्रीतम कौर, हरबंश कौर, गरदेव कौर ने जरिये दस्तबरदारी अपने हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 जगतार सिंह व प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 के पक्ष में निष्पादित करवा दिए थे। अतः काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाकर दस्तबरदारी दिनांक 15.06.2015 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। सामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के साथ वादगत भूमि की पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है ?

-जिम्मे वादीगण-

(ii)आया कि प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 प्रतिवादी संख्या 6,7,8 के साथ वादगत भूमि की पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 15.06.2015 की रूह से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2-

(iii)अनुतोष।

4. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 4 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 95/99 की प्रति, प्रदर्श-2 पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की प्रति, प्रदर्श-2ए पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की छायाप्रति, प्रदर्श-3ए हाकम सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, स्वंय वादी रिछपाल सिंह, गवाह अवतार सिंह, बलविन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी के द्वारा जिरह करने से मना किया। जिरह वकील प्रतिवादी बन्द की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) आया कि क्या वादीगण प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के साथ वादगत भूमि की पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादी के द्वारा तहत पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से राजस्व ग्राम 4 वी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 95/99 के मुरब्बा नम्बर 32, 44, 47, 60/5 की 8.426 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श-2 पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की प्रति में हाकम सिंह पुत्र बन्ता सिंह के द्वारा चक 4 वीं के खाता संख्या 77/75 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 24, मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5 की 0.158 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 6 की 0.173 हैक्टेयर, कुल 1.343 हैक्टेयर भूमि अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जगतार सिंह पुत्र हाकम सिंह को दे दी है व मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1 ता 7 सालम व किला नम्बर 10, 11 सालम व किला नम्बर 14 ता 17 सालम, किला नम्बर 20, 25 सालम नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 15, 16, 17 सालम व किला नम्बर 22 ता 25 सालम नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25 की 1.404 हैक्टेयर नहरी भूमि, 0.114 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी भूमि अपने पोतो अंग्रेज सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा व हरविन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा, गुरमीत सिंह व रिछपाल सिंह पिसरान बलदेव सिंह 1/3 हिस्सा दे दी है। लिहाजा उक्त वसीयत उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर से पंजीबद्ध है। जिसे फर्जी व कूटरचित नही कहा जा सकता। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के साथ पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से खातेदार घोषित किया जाना हम विधिसंगत है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 प्रतिवादी संख्या 6,7,8 के साथ वादगत भूमि की पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 15.06.2015 की रूह से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 की थी। परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए प्रकरण में प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 द्वारा अपनी तनकी को साबित करने के लिए प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं की गई। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादीगण व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
अंग्रेज सिंह आदि बनाम जगतार सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नम्बर 20/2015
निर्णय दिनांक :- 21.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्न्ड स्वयम् उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित होने पर** आदेश किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर राजस्व ग्राम 4 बी, पटवार हल्का 8 बीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 95/99 के मुरब्बा नम्बर 32,44,47, 60/5 की 8.426 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि के दर्ज विरासतन इन्तकाल संख्या 373 दिनांक 21.07.2014 को निरस्त किया जाकर पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2008 की रूह से वादीगण अंग्रेज सिंह, हरविन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, रिछपाल सिंह को 7.083 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1(मृतक) के वारिसान को 1.343 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2024/312 दिनांकः 21.06.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अधिकारी (राजस्व)
सत्यमेव जयते
रणपुर (श्री गंगानगर)